न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)
पीठासीन अधिकारी :- बृजेश कुमार मंगल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर ! 4/21

उनवान :- ताराचन्द पुत्र रामनारायन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मौहल्ला मनिया तहसील मनियां जिला धौलपुर ---प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार राजाखेड़ा ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर. एक्ट।

उपस्थिति :- श्री आर.एस. चौहान एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 18-8-2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 131 एल. आर. एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि प्रार्थी की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. 1537/747 रकबा 8.8525 हैक्टेयर (स्थित ग्राम अण्डवा पुरैनी तहसील राजाखेड़ा में है। इस आराजी का मूल खसरा नम्बर 747घ। जिसमें से प्रार्थी व भिन्न भिन्न खातेदारों को भूमि आवंटन कर कब्जा प्रदान किया गया था। प्रार्थी की यह आराजी मूल खसरा नम्बर 747की दक्षिण दिशा में ख.न. 1540/747 के ठीक बगल से ही भौतिक कब्जा व आधिपत्य रहा और आज भी है। इस भूमि को प्रार्थी द्वारा बड़ी मेहनत व लागत से समतल कर कृषि योग्य बनाया और तभी से प्रार्थी उपरोक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त व फसल का लाभ प्राप्त करता आ रहा है। प्रार्थना पत्र पेश करने से जब एक माह पूर्व प्रार्थी ने इस आराजी के खसरा नम्बर जमाबन्दी, खसरा, नक्शा ट्रेस की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की, तो प्रार्थी को सर्वप्रथम पता चला कि पटवारी हल्का ने प्रार्थी की बैक पर गम्भीर लापरवाही एवं त्रुटि से प्रार्थी की गैरखातेदारी की आराजी ख.न. 1537/747 की तरमीम

क्रमश:---2

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

नक्शा लट्ठा मे बिना मौकिक कब्जा वाले स्थान आदि मूल ख०नं० 757 के उत्तर दिशा में कर दी गयी है जहाँ प्रार्थी का कभी मौकिक कब्जा कायम नहीं रहा। पटवारी हल्का द्वारा की गयी त्रुटि पूर्ण तरमीम अवैध है इससे प्रार्थी के हक हकूक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है यह शुद्धि योग्य है। इसकी शुद्धि बाबत जब प्रार्थी ने अप्रार्थी से नक्शा लट्ठा मे इस अशुद्धि बाबत तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुसार ख०नं० 1550/757 के वाटेदार के पश्चिमी दिशा में करने को कहा तो अप्रार्थी ने स्पष्ट मना कर दिया तथा तरमीम शुद्ध करने का अधिकार SDO सा० को होना बताया। तब प्रार्थी ने अपनी गलत तरमीम को शुद्ध कराने के लिए न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रार्थना पत्र के आखिर में गलत व त्रुटि पूर्ण तरमीम को निरस्त कर वास्तविक कब्जेवाले स्थान पर नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

~~[illegible]~~

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को पहिले नोटिस तलब किया गया, साथ ही तहसीलदार राजाखेड़ा को विवादित आराजी के मौके की वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भिजवाने हेतु भी लिखा गया। तहसीलदार राजाखेड़ा की ओर से दिनांक 11-8-2021 को इस न्यायालय मे जवाब प्रा० पत्र प्रस्तुत किया। जिसमे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के अधिकांश बिन्दुओं के कथनों को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी पर मौका पर्चा पटवारी के अनुसार नक्शा लट्ठा मे तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार नहीं है प्रार्थी का कब्जा आराजी ख०नं० 1550/757 के वाटेदारी की भूमि के पश्चिमी दिशा में है। उन्हें नक्शे में तरमीम कब्जानुसार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तहसीलदार राजाखेड़ा से प्राप्त मौके की रिपोर्ट में भी कब्जे के अनुसार तरमीम मे अन्तर बताया है।

साक्ष्य प्रार्थी में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074-77, नकल नक्शा अक्स ख०नं० 1437/747

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमशः-3

व 1540/747 ग्राम अण्डवा पुरैनी, नक्शा नजरी ख०न० 1537/747 ग्राम अण्डवा पुरैनी पेश किये हैं। मौखिक साक्ष्य में बयान पूर्वी नारायण PW-1 कराया है। अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। उनके द्वारा अपनी बहस प्रा०पत्र के समस्त कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य, जवाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र को पूरी तरह साबित होना बताया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, वर्तमान तरमीम को निरस्त कर कब्जे के अनुसार नयी तरमीम करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी विवादित आराजी का खातेदार होना भली भाँति साबित होता है। जवाब तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट से यह भी भली भाँति साबित होता है कि विवादित आराजी की वर्तमान में नक्शा लठ्ठा में जो तरमीम आ रही है वह प्रार्थी का वास्तविक कब्जा नहीं है। वास्तविक कब्जे एवं तरमीम में मौका रिपोर्ट में अन्तर बताया है। तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में इस कथन को दोहराते हुए, विवादित आराजी की तरमीम कब्जे अनुसार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। इस प्रकार हम प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना न्यायसंगत एवं न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अजयर धारा 131 एल०आर० एक्ट स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 1537/747 रकबा 8.8525 हैक्टेयर स्थित ग्राम अण्डवा पुरैनी तहसील राजाखेड़ा की नक्शा लठ्ठा में हो रही वर्तमान तरमीम को निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार राजाखेड़ा को यह भी आदेश दिये जाते हैं कि उक्त आराजी की नई तरमीम प्रार्थी के कब्जे के अनुसार आ०ख०न० 1540/747 के खातेदार की भूमि के पास मौका में जाँच करके करें। पालना हेतु तहसीलदार राजाखेड़ा को परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18-8-22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा धौलपुर (राज.)